BHADOHI POLICE

प्रेस-नोट

साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद भदोही **दिनांक-22.04.2025**

◆श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद भदोही द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कम्पनी में निवेश करवाने के नाम पर फ्रॉड की गई ₹3,13,756/- की धनराशि को पीड़ित के बैंक खाते में कराया गया वापस।

◆स्थानान्तरित धनराशि अपने खाते में पाकर पीड़ित द्वारा किया गया भदोही पुलिस का हृदय से धन्यवाद।

जनपद में हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम हेतु **श्री अभिमन्यु मांगलिक**, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना को किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ हुए धोखाधड़ी या सोशल साइट के दुरुपयोग पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में आवेदक रवि प्रताप सिंह पुत्र सन्त कुमार सिंह निवासी सुबापुर मोढ़ थाना भदोही जनपद भदोही के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ए.के.कैपिटल नामक कम्पनी में निवेश करवाने के नाम पर कुल ₹66,88,500/- रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत के सम्बन्ध में दिनांक 17.12.2024 को मु0अ0सं0 07/25 साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद भदोही में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा उक्त विवेचना के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए निरीक्षक श्री मनोज कुमार ,हे0का0 गोवर्धन कुशवाहा द्वारा **₹3,13,756/- (तीन लाख तेरह हजार सात सौ छप्पन रुपये)** की धनराशि को वादी मुकदमा के खाते में वापस कराया गया जिसमें शेष धनराशि को वापस कराये जाने की अग्रिम कार्यवाही प्रचलित हैं।वादी मुकदमा द्वारा अपने खाते से गयी धनराशि को वापस पाकर पुलिस अधीक्षक भदोही व साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भदोही पुलिस की भूरि- भूरि प्रशंसा की गयी।

साइबर क्राइम पुलिस टीम भदोही

1.निरी0 श्री मनोज कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद भदोही।

2.हे0का0 गोवर्धन कुशवाहा साइबर क्राइम पुलिस थाना।